



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)



सीबीएसई/निदेशक(प्रशि.एवं कौ.शि.)/2020

दिनांक : 03 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

30-30 एसटीएएम कार्यक्रम की अधिसूचना की युक्तिका

इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 71 दिनांक 8 अगस्त 2020 के अनुक्रम में, यह सूचित किया जाता है कि **30-30 एसटीएएम कार्यक्रम**, जिसे सीबीएसई ने आईआईटी, गांधीनगर के साथ मिलकर शुरू किया है, के **प्रमाणन के लिए पंजीकरण**, अब सीबीएसई संबद्ध स्कूलों और सभी राज्य/अन्य बोर्डों के शिक्षकों के लिए खुल गया है, जो पहले से ही आईआईटी, गांधीनगर के यूट्यूब लिंक <https://www.youtube.com/iitgncli> के माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, या पूरे पाठ्यक्रम अर्थात् 30 गृह कार्य सहित 30 साप्ताहिक वीडियो, जैसी कि योजना बनाई गई थी, में शामिल होने और उसे पूरा करने का इरादा रखते हैं।

इच्छुक शिक्षक, जो सीबीएसई और आईआईटी, गांधीनगर से भागीदारी का प्रमाण-पत्र चाहते हैं, निम्नलिखित में से किसी भी लिंक का उपयोग करके पंजीकरण और 30 सप्ताह के पूरे कोर्स के लिए रु.100 (एक सौ) का भुगतान कर सकते हैं।

सीबीएसई से सम्बद्ध विद्यालाओं के शिक्षकों के लिए पंजीकरण और भुगतान लिंक:

<http://59.179.16.89/cbse/training/onlineprog.aspx>

राज्य और अन्य बोर्डों से सम्बद्ध विद्यालाओं के शिक्षकों के लिए पंजीकरण और भुगतान लिंक:

https://cbseit.in/cbse/training/stem_register.aspx

यह संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य शिक्षा सचिवों को भेजे गए उनके पत्र सं. 16-4/2019-IS.15(भाग 7) दिनांक 24 अगस्त 2020 द्वारा जारी किया गया है।

Biswajit Saha
Dr. Biswajit Saha

(डॉ. विश्वजीत साहा)

(प्रशिक्षण एवं कौशल शिक्षा)

टिप्पणी : जिन शिक्षकों ने पहले ही 100/- रु. का भुगतान कर दिया है, उन्हें पुनः भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
प्रतिलिपि:

1. प्रधान सचिव/सचिव, सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र
2. अध्यक्ष/सचिव, सभी राज्य/अन्य बोर्ड
3. आयुक्त, केवीएस/एनवीएस
4. निदेशक, आईआईटी, गांधीनगर
5. सीबीएसई से संबद्ध सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य